



**बिहार सरकार**  
**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय**  
**गृह विभाग (कारा)**

—: आदेश :—

कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण के रोक-थाम एवं इसके निरोधात्मक उपाय के क्रम में स्वास्थ्य विभाग के ज्ञापांक-240(3) दिनांक-13.03.2020 द्वारा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी प्रकार के चिकित्सा पदाधिकारी का अवकाश रद्द करते हुए उन्हें अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने का निदेश दिया गया है।

अतः कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण के रोक-थाम एवं इसके निरोधात्मक उपाय हेतु विशेष चौकसी एवं अनुश्रवण की आवश्यकता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग से सेवा प्राप्त चिकित्सकों यथा निदेशक, उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा, राज्य की काराओं में पदस्थापित सभी चिकित्सा पदाधिकारियों, संविदा आधारित चिकित्सकों, कारा में पदस्थापित सभी मिश्रकों एवं परिधापकों का सभी प्रकार का अवकाश (अध्ययन अवकाश एवं मातृत्व अवकाश को छोड़कर) को तत्काल प्रभाव से दिनांक-31.03.2020 तक रद्द किया जाता है। वर्तमान में जो चिकित्सा पदाधिकारी/संविदा चिकित्सक एवं मिश्रक/परिधापक अवकाश पर हैं उन्हें अविलम्ब अपने कारा में कर्तव्य पर योगदान देने का निदेश दिया जाता है।

23.03.2020

(दीवान जाफर हुसैन खाँ)  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

ज्ञापांक:- कारा/स्था० (चि०)-01-15/2016.....१३०३ दिनांक-.....२३-३-२० बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- निदेशक, उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, सभी चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा आधारित चिकित्सकों सहित) सभी मिश्रकों एवं परिधापकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.03.2020  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

ज्ञापांक:- कारा/स्था० (चि०)-01-15/2016.....१३०३ दिनांक-.....२३-३-२० बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा/मुक्त कारागार, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.03.2020  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

ज्ञापांक:- कारा/स्था० (चि०)-01-15/2016.....१३०३ दिनांक-.....२३-३-२० बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.03.2020

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)  
बिहार, पटना।

